

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घड़साना
पीठासीन अधिकारी :- अमिलाषा अमरस्य कौम्य कोर्ट : ग्राम पंचायत... 2.57.8...

- आदेश :-

दिनांक : 16.11.2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 17 M.D.A. एवं
नू-अमिलेख निरीक्षक ~~...~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~...~~ /
नायब तहसीलदार ~~...~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~...~~ तहसील
~~...~~ जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्बन्ध ~~...~~ में
खाता सं. ~~...~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध
किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1	14 MD	29	रहन S.B.B.T. 21.10.2021 न.म. घड़साना	रहन S.B.T. 21.10.2021 न.म. घड़साना

(अमिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

क्रमांक / रीडर / प्र.गा.सं.अ. / 2021 / 2243-49

दिनांक : 16.11.2021

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार घड़साना / रावला को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री ~~...~~ को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना